



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232957
CG-DL-E-28012022-232957

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]
No. 368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/ MAGHA 8, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 379(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित, धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. अरूण कुमार वर्मा, पूर्व पीसीसीएफ, गुजरात सरकार को दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से चार वर्ष की अवधि के लिए या उनके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(06)/2020-पीएल/एनजीटी (वॉल्यू. III)]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 379 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6 read with section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Dr. Arun Kumar Verma, former PCCF, Government of Gujarat as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from the 12th April, 2021 for a period of four years or up to attaining the age of sixty-seven years or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. 17(06)/2010-PL/NGT (Vol. III)]

RAJASREE RAY, Economic Advisor

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 380 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 7 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. के. सत्यगोपाल, पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, हैदराबाद को दिनांक 12 अप्रैल, 2021 से चार वर्ष की अवधि के लिए या उनके सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17(06)/2020-पीएल/एनजीटी (वॉल्यू. III)]

राजश्री रे, आर्थिक सलाहकार

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 380 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 6 read with section 7 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby appoints Dr. K. Satyagopal, Former DG, National Institute of Plant Health Management, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Hyderabad as the Expert Member of the National Green Tribunal with effect from the 12th April, 2021 for a period of four years or up to attaining the age of sixty-seven years, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. 17(06)/2010-PL/NGT (Vol. III)]

RAJASREE RAY, Economic Advisor